आदेश

वादीगण का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 1 को जरिये स्थाई आदेश के पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खेड़ा की ढाणी के भूमि ख.नं. 140, 146 किता 2 कुल रकबा 0.57 है० में से वादीगण के हिस्से तक एवं ग्राम गुढ़ागोड़जी के भूमि ख.नं. 447, 448 किता-2 कुल रकबा 0.58 है. में वादीगण के हिस्से तक की भूमि के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न न करे। ग्राम खेड़का के भूमि ख.नं. 707 व 1197 में प्रतिवादी नं. 1 अपना हिस्सा 1/2 का बेचान प्रति. नं. 2 को कर चुके है तथा राजस्व रिकार्ड भी प्रतिवादी नं 2 के नाम से दर्ज है इसलिये इस भूमि में प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का कोई औचित्य नहीं है। वादीगण चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.5.18 को कोर्ट कैम्प कोड में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं).

Scanned by CamScanner